भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 515

जिसका उत्तर 28 नवंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

सिंचाई के लिए गड्ढों के निर्माण हेतु अनुदान

515. श्री राहुल कस्वाः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ड्रिप स्प्रिंकलर प्रणाली के तहत सिंचाई के लिए गड्ढों के निर्माण हेतु किसानों को सब्सिडी देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान विशेष रूप से राजस्थान के चुरू, हनुमानगढ़ बीकानेर जिलों में कितने किसानों को गड्ढों के निर्माण के लिए सब्सिडी राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या कोई उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए धनराशि का कोई आनुपातिक हिस्सा निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोनों सरकारों में से एक द्वारा अभी तक अपना हिस्सा नहीं दिए जाने के कारण किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीओएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से राजस्थान सहित पूरे देश में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) का क्रियान्वयन कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया गया। पीडीएमसी योजना को वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत, लघु एवं सीमांत किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 55% तथा अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता दी जाती है।

किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में सक्षम बनाने के लिए स्रोत निर्माण को पूरक बनाने हेतु, यह योजना "अन्य कार्यकलापों" के अंतर्गत किसानों की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण, जल संरक्षण/प्रबंधन गतिविधियों आदि का समर्थन करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इन गतिविधियों के लिए खर्च की जा सकने वाली राशि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन का 20% और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 40% तक है। योजना के तहत बनाए गए स्रोतों को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा जाना है।

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा वहन की जाती है। इन राज्यों के मामले में हिस्सेदारी का अनुपात 90:10 है।

राजस्थान सरकार ने चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर जिलों के किसानों सहित अन्य किसानों के लाभ के लिए इस योजना के अंतर्गत फार्म पॉन्ड्स का निर्माण कार्य शुरू किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान इन जिलों में निर्मित फार्म पॉन्ड्स का विवरण निम्नानुसार है:

जिले का नाम	**फार्म पॉन्ड्स की संख्या**
चुरू	384
हनुमानगढ़	275
बीकानेर	309

(घ) और (ङ): किसानों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच निधि को साझा करने के माध्यम से योजना का लाभ मिल रहा है।

*****